


अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

भोमाराम बनाम भादरराम आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 117 / 2023

तारीख हुम	हुम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुम की तारीख जारी हुआ
31.05.2023	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दरतावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दरतावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या-01 आगामी तारीख पेशी तक, रोही गौजा भावलदेसर तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2070-2073 के खाता संख्या 98/79 की कुल 8 खसरेजात की 23.4404 हेक्टेयर चादभूमि में प्रार्थी के हक व हिसरो की भूमि को रहन, बैय, गुन्तविल न करे व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उपरोक्त स्थान मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड रामन पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 19/07/2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ) </p> <p> पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. राजस्व संख्या 22/19/23 को पेश हो। पत्रावली दि. 8/8/23 को पेश हो। </p> <p> पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. राजस्व संख्या 22/19/23 को पेश हो। पत्रावली दि. 14/9/23 को पेश हो। </p> <p> पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. राजस्व संख्या 22/19/23 को पेश हो। पत्रावली दि. 19/10/23 को पेश हो। </p> <p> पत्रावली पेश हुई अप्रार्थीगण कि तलबी हेतु साफ पत्र की आगामी पेशी तक आशयक तौर पे नलिज साफ पत्र को पत्रावली दिनांक 7/11/23 को पेश हो। </p>	

19/3
8/8/23
11/10/23



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इन्निशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तारीख जारी हुआ
7/11/23	पत्रावली दि. 5/12/23 को पेश हो। पत्रावली दि. 5/12/23 को पेश हो।	
5/12/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् जी पी.ओ. साहब .. पत्रावली दि. 24/1/24 को पेश हो।	
28/1/23	<p>पत्रावली आदि पत्र आदि पत्रों के वकालत अहकाम करने पर पेश हो। आदि के आदि पत्र राजीनामा के आधार पर मूल पत्र आदि के आदि पत्रों को स्वीकार कर (वारिज) किया जा चुका है। आदि पत्र में आदि ने अनुवर्ती आदि पत्र (वारिज) करने का विकल्प नहीं किया है। मूल पत्र राजीनामा आदि पत्र पर (वारिज) करने के लिए आदि पत्र सत्यापित करने का बॉक्स को भरना नहीं है। अतः अनुवर्ती आदि पत्र को मूल पत्र मारना आदि नहीं लेने पर (वारिज) किया जा रहा है। पत्रावली नष्ट हो कर लेना कई तकसिल सिलेस सफर होना।</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> 28/1/23 28/1/23 </p>

उपरोक्त अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)